

कार्यालय निदेशक सैकण्डरी शिक्षा हरियाणा चण्डीगढ़

आदेश क्रमांक 23/133-98 वि 1121 दिनांक चण्डीगढ़ 6-8-98

सेन्ट सोलजर एम आर उच्च विद्यालय बहादुरगढ़ को दशवीं स्तर तक की स्थायी मान्यता दिनांक 1-4-98 से निम्न शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

1. विद्यालय के प्रबन्धक स्कूल को अपने ही साधनों से चलायेंगे और ग्रांट इत्यादि की मांग नहीं करेंगे।
2. विद्यालय निदेशालय द्वारा समय 2 पर जारी की गई जाने वाली हिदायतों की पालना करेगा।
3. विद्यालय हरियाणा शिक्षा बोर्ड की धारा 214 से 239 तक की शर्तों की पूर्ण रू से पालना करेगा।
प्लैज की जाने वाली शोषा राशि की गणना करके तीन त्रैमासिक किस्तों में जमा करवा कर रिपोर्ट निदेशालय को भेजें।

एन सी बधावा
निदेशक सैकण्डरी शिक्षा हरियाणा

पृष्ठांकन क्र मांक सम दिनांक

6.8.98

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनाओं एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है:-

1. जिला शिक्षा अधिकारी भुज्जर को उनके यादी क्रमांक, स्था 4/98/1368 दिनांक 24-7-98 के संदर्भ में।
2. अधीक्षक सैकण्डरी शिक्षा स्थानीय।
3. सचिव, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी।
अधीक्षक आंकड़ स्थानीय।
5. मुख्याध्यापक सेन्ट सोलजर एम आर उच्च विद्यालय बहादुरगढ़ को भेज कर अनुरोध है कि शोषा प्लैज की राशि निश्चित अवधि में जमा करवा कर निदेशालय को अनुपालना रिपोर्ट भेजें।
6. सभी जिला शिक्षा अधिकारी हरियाणा राज्य तिसाये भुज्जर।




PRINCIPAL

Saint Soldier M.R. Sr. Sec. School

(Affiliated to C.B.S.E.)

Bahadurgarh-124507



अधीक्षक विद्यालय-16/8/98
निदेशक सैकण्डरी शिक्षा हरियाणा